Impact Factor 2.147

ISSN 2349-638x

Reviewed International Journal

AAYUSHI INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (AIIRJ)

Monthly Publish Journal

VOL-III ISSUE-V May 2016

Address
•Vikram Nagar, Boudhi Chouk, Latur.
•Tq. Latur, Dis. Latur 413512
•(+91) 9922455749, (+91) 9158387437

Email
•aiirjpramod@gmail.com

Website
•www.aiirjournal.com

CHIEF EDITOR – PRAMOD PRAKASHRAO TANDALE

छत्रपति शिवाजी का शासन स्वरूप

डॉ. कृष्णात आनंदराव पाटील
हिंदी विभाग,
श्री शिव-शाहू महाविद्यालय, सरूड
ता. शाहुवाडी, जि. कोल्हापुर.

शिवाजी न केवल एक साहसी सैनिक और एक सफल राजा थे। बल्कि अपनी प्रजा का एक ज्ञानी शासक भी थे। प्राय सभी महान् योद्धाओं के समान-नेपोलियन एक उत्कृष्ट उदाहरण है। शिवाजी भी एक महान शासन थे। क्योंकि जिन गुणों से एक योग्य सेनापति बनता है, उन्ही गुणों की आवश्यकता सफल संगठनकर्ता एवं राजनीतिज्ञ के लिए भी होती है।

राजस्व-संग्रह तथा शासन के लिए शिवाजी का राज्य कई प्रान्तों में बँटा था। प्रत्येक प्रान्त परगनों तथा तफों में विभक्त था। गाँव सबसे छोटी इकाई था। शिवाजी ने भूमि-राजस्व को ठेके पर देने की उस समय की फैली हुई प्रथा को छोड दिया। इसके बदले उन्होंने सरकारी अफसरों द्वारा सीधे रैयतों से कर वसूलने की प्रथा चलायी। इसके अनुसार सरकारी अफसरों का राजनैनिक अधिपति की शक्यियों के काम में लाने अथवा रैयतों को क्लेश देने का अधिकार नहीं था। भूमि की सावधानी से जाँच कर का निर्धारण होता था। इसके लिए माप की एक इकाई निकाली गयी, जो राज्य भर में एक समान व्यवहार में लायी गयी। संभावित उपज का ३० प्रतिशत राज्य लेता था।

कुछ समय के बाद अन्य प्रकार के करों या चुगियों के उठा देने के पश्चात शिवाजी ने इसे बढाकर ४० प्रतिशत कर दिया। कृषक निश्चित रूप से जानते थे कि उन्हें कितना देना है तथा इसे वे बिना किसी जुल्म के अदा कर सकते थे। उन्हें नकद अथवा अनाज किसी रूप में अदा करने की स्वतंत्रता थी। राज्य रयतों को बीज तथा मवेशी खरीदने के लिए खजाने से अगि‘‘म ऋण देकर खेती को प्रोत्साहन देते थे। उन्हे आसान वार्षिक किश्तो में चुका देती थीं। आधुनिके अनुसंधानों ने यह पूर्णत सिद्ध कर दिया है कि शिवाजी का राजस्व शासन मानवतापूर्ण कार्यक्षम तथा उसकी प्रजा के लिए हितकर था।

शिवाजी के द्वारा मराठी सेना का एक नये ढंग पर संगठन उनकी सैनिक प्रतिभा का एक ज्वलंत प्रमाण है। पहले फौज में अधिकतर अश्वारोही होते थे। जिनकी आदत आधे साल तक अपने खेतों में काम करने की थी तथा सूखे मौसम में सकि‘य सेवा करते थे। किन्तु शिवाजी ने एक नियमित तथा स्थायी सेना रखी। उनके सैनिकों को कर्त्तव्य के लिए सदैव तैयार रहना पडता था तथा वर्षा ऋतु में उन्हें वेतन और रहने का स्थान मिलता था नौसेना में शिवाजी ने मुसलमानों को भी नियुक्त किया था।

यद्यपि छत्रपति शिवाजी नियमित रूप से तथा उदारता-पूर्वक सैनिकों को वेतन और पुरस्कार किया करते थे। परन्तु उनमें कठोर अनुशासन रखना वे भूले नही थे। उन्होंने उनके आचरण के लिए कुछ नियम बनाये थे जिससे उनका नैतिक स्तर नीचा न हो। इन नियमों में से अधिक महत्वपूर्ण नियम थे किसी स्त्री, दासी या नर्तकी को सेना के साथ जाने की आज्ञा नहीं थी।

शासक एवं व्यक्ति दोनों रूपों में शिवाजी का भारत के इतिहास में एक प्रतिष्ठित स्थान है। जो उनके सम्पर्क में उन पर वे जादू का असर डाल सकते थे। उन पर वे जादू का असर डाल सकते थे। अपनी असाधारण वीरता एवं कूटनीति के बल से वे एक जागीरदार के पद से उठकर छत्रपति बन बैठे। वे महान रचनात्मक प्रतिभाशाली थे। वे उन सभी गुणों से सम्पन्न थे। जिनकी किसी देश के राष्ट्रीय पुनर्जीवन के लिए आवश्यकता होती है। उनकी प्रणाली उनकी अपनी सृष्टि थी। उन्होंने अपने शासन में कोई विदेशी सहायता नहीं ली। उसकी सेना की कवायद तथा कमान उसके अपने आदमियों के ही अधीन थी न कि फ‘ांसीसियों के। उसने जो बनाया वह लम्बे समय तक टिका।

शिवाजी ने सदैव अपने राज्य के लोगों के सम्मान की रक्षा करने का प्रयत्न किया था। वे पकड में आयी हुई मुसलमान स्त्रियों तथा बच्चों के सम्मान की रक्षा सावधानी से करते थे। इस सम्बन्ध में उनके आदेश बडे कठोर थे तथा जो कोई भी इनका उल्लंधन करता था उसे दण्ड मिलता था।

शिवाजी महान विजेता होने के साथ-साथ एक कुशल प्रशासक भी थे। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था काफी कुछ दक्षिणी राज्यों एवं मुगल प्रशासन से प्रभावित थी। मध्यकालीन शासकों की तरह शिवाजी के पास भी शासक के सम्पूर्ण अधिकार सुरक्षित थे। शासन कार्यों में सहायता के लिए शिवाजी ने मंत्रियों की एक परिषद, जिसे 'अष्टप्रधान' करते थे, की व्यवस्था की थी, पर उन्हें किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल की संज्ञा नहीं दी सकती थी। ये मंत्री 'सचिव' के रूप में कार्य करते थे। वह प्रत्यक्ष रुप में न तो कोई निर्णय ले सकते थे और न ही नीति निर्धारित कर सकते थे। उनकी भूमिका मात्र परामर्शकारी होती थी, किन्तु मंत्रियों से परामर्श के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे।

शिवाजी ने अपने दुर्गों की सुरक्षा के लिए 'हवलदार', 'सर-ए-नौबत' एवं 'सुबनिस' नाम के अधिकारियों की व्यवस्था की थी। हवलदार किले की आन्तरिक वयवस्था को देखता था। सर-ए-नौबत किले की सेना का नेतृत्व एवं उन पर नियंत्रण रखता था। सुबनिस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र-व्यवहार एवं भण्डार आदि की देख-भाल करता था। सर-ए-नौबत एवं हवलदार का पद प्राय मराठों को एवं सुबनिस का पद ब'ाम्हणों एवं कायस्थों को प्रदान किया जाता था। स्वराज प्रदेश सीधे शिवाजी के अधीन था।

शिवाजी उन शासकों में से थे, जिन्हें राज्य सत्ता का भोग वरदान में नहीं प्राप्त हुआ था। उन्हें शुन्य से राज्य की स्थापना तक कठिण श्रम करना पडा था, जिसके लिए एक शक्तिशाली सेना आवश्यक ही नहीं, अपितु अनिवार्य भी थी।

शिवाजी की सेना में गुप्तचर, तोपखाना एवं समुद्री बेडों की भी व्यवस्था थी। सेना को जागीर के रूप में वेतन मिलने का कोई भी प्रमाण नही मिलता। सेना के साथ युद्ध में स्त्रियों का जाना वर्जित था। इससे स्पष्ट होता है कि शिवाजी का शासन लोक कल्याणकारी था।

संदर्भ सूची

१) डॉ. प्रमोद पाठक- महामानव छत्रपति शिवाजी
२) डॉ. वसंत मोरे- छ.शिवाजी की साहित्यिक प्रतिभा कितनी नही, कितनी प्रेरक?
३) अनुज शर्मा-मध्यकालीन भारत के राजवंश
४) रामजी सिंह- राष्ट्रीयता धर्म और राजनीति
५) किरण उपाध्ये- शिवाजी शोध आणि शाकांकिता
६) कृ.अ.केळुसकर - छत्रपति शिवाजी महाराज
७) चित्रलेखा-२३ फरवरी, २००८

ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com